

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र दाखां

क्रमांक:-लो.अदा./2017/

236

प्रकरण सं.:- 153/17


दिनांक:-05.06.2017

### आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धनवा व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बामणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-2073 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बामणी तहसील सिणधरी	136	29,30	आसा पुत्र कोजा	आसूराम पुत्र कोजाराम <u>शेष बद्रूस्तर</u>


नोट:-किसी सरकारी संस्था/गैर सरकारी संस्था से किसी प्रकार का ऋण इत्यादि बकाया होने पर प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा।

  
05/06/17  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 5.6.2017

क्रमांक:-लो.अदा./2017/  
प्रतिलिपि:-

237-39

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री. आसूराम पुत्र कोजाराम जाति मेधवाल निवासी बामणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
05/06/17  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी